न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 723–पी.बी.आर./ 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–2012 पारित व्दारा – कलेक्टर, जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 08/12–13 अपील

सालिगराम पुत्र शेरसिंह दांगी
ग्राम करई बेरखेड़ी तहसील
कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर विदिशा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)
(अनावेदक की ओर से कोई नहीं)

आ दे श
(आज दिनांक २०–१०–2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 08/ 12–13 अपील में पारित दि. 07–11–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधि. 1960 (यथा–सॅशोधित) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है महिला बेनीवाई पत्नि स्वर्गीय चित्तरसिंह व्दारा म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (यथा–सॅशोधित) के अंतर्गत बनाये गये नियमों में प्रारूप 'क' में अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई को कृषि भूमि धारण की विवरणी प्रस्तुत की गई। विवरणी में बताया गया कि उसके व्दारा दिनांक 1.1.1971 से 7–3–1974 के बीच धारित भूमि 30.054 है. है। विवरणी के भाग 3 'क' में बताया गया कि उसके व्दारा भूमि सर्वे कमांक 417 रकबा 6.489 है. भूमि पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 29–3–1973 से गजराज सिंह दांगी को विक्रय की है। यह विक्रय 1.1.1971 से 7–3–1974 के बीच का होने से केता गजराज सिंह

को धारा 4(1) के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया। बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने के वाद गजराजसिंह के अनुपस्थित रहने से अंतरिम आदेश दिनांक 7-12-88 से एकपक्षीय कार्यवाही की गई एंव जांच उपरांत प्रकरण क्रमांक 746 अ 90 (बी-3) 1974-75 में आदेश दिनांक 29.4.89 पारित किया गया तथा महिला बेनीवाई व्दारा 1-1-71 को धारित भूमि 30.054 हैक्टर में से बेनीवाई परिवार में अकेली होने से 12.140 है. भूमि धारण करने की पात्रता देते हुये 17.194 हैक्टर भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध शेरसिंह एंव गजराज सिंह ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष अपील क्रमांक 36/88-89 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 26-12-90 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी क्रमांक 66/90-91 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10-9-98 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में साक्ष्य लेकर निष्कर्ष निकाला जाय कि :-

1. क्या शेरसिंह से धारक बेनीवाईका विवाह हुआ था ?
2. क्या शेरसिंह एंव बेनीवाई से एक पुत्र दीवानसिंह उत्पन्न हुआ था ?
3. धारक की जो भूमि शेरसिंह के कब्जे में होना बताई गई है वह भूमि शेरसिंह को पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त हुई है अथवा अन्य प्रकार से और क्या शेरसिंह उक्त भूमि का स्वामी हो गया है या नहीं ?

अपर आयुक्त से प्रत्यावर्तन में प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई ने नवीन नंबर 01/अ-90 (बी-3) 2008-09 पर प्रकरण दर्ज कर हितबद्धों की सुनवाई की एंव पुर्नजांच उपरांत आदेश दिनांक 27 जुलाई 2012 पारित किया तथा महिला बेनीवाई का शेरसिंह से विवाह होना प्रमाणित न होने एंव दीवान सिंह उनका पुत्र होना न पाये जाने से दि.1-1-71 को धारित भूमि 30.054 हैक्टर

में से बेनीवाई परिवार में अकेली होने से 12.140 है. भूमि धारण करने की पात्रता देते हुये 17.194 हैक्टर भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, विदिशा के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 08/12-13 अपील में पारित दि. 07-11-2012 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 746 अ 90 (बी-3) 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 29.4.89 से महिला बेनीवाई व्दारा 1-1-71 को धारित भूमि 30.054 हैक्टर में से बेनीवाई परिवार में अकेली होने से 12.140 है. भूमि धारण करने की पात्रता देते हुये उसकी 17.194 हैक्टर भूमि अतिशेष घोषित की गई है। इस आदेश के विरूद्ध शेरसिंह एंव गजराज सिंह ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष अपील कमांक 36/88-89 प्रस्तुत करने पर आदेश दि. 26-12-90 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी क. 66/90-91 प्रस्तुत होने पर आदेश दि. 10-9-98 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में साक्ष्य लेकर निष्कर्ष निकाला जाय कि :-

1. क्या शेरसिंह से धारक बेनीवाई का विवाह हुआ था ?
2. क्या शेरसिंह एंव बेनीवाई से एक पुत्र दीवानसिंह उत्पन्न हुआ था ?
3. धारक की जो भूमि शेरसिंह के कब्जे में होना बताई गई है वह भूम शेरसिंह को पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त हुई है अथवा अन्य प्रकार से और क्या शेरसिंह उक्त भूमि का स्वामी हो गया है या नहीं ?

अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में पुर्नजांच की है एंव आवेदकगण को सुनवाई का एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु आवेदक यह प्रमाणित करने में असमर्थ्य रहे हैं कि शेरसिंह का धारक बेनीवाई से विवाह हुआ है एंव इस विवाद से दीवानसिंह उत्पन्न हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई व्दारा आदेश दिनांक 27-7-12 के पद 8 में विस्तृत विवेचना कर उक्त 3 बिंदुओं पर भलीभॉति निष्कर्ष दिया है। अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के आदेश दिनांक 27-7-12 के अवलोकन से एंव कलेक्टर विदिशा के आदेश दिनांक 7-11-12 के अवलोकन से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष एकरूपता लिये है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता हूॅ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 08/12-13 अपील में पारित दिनांक 07-11-2012 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर